ग्राम पंचायत धौन कोठी विकास खण्ड सदर जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

पैरा–1. प्रस्तावना (क) :– ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006.12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत धौन कोठी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री श्याम लाल	01/04/2013 से 22/01/2016
2	श्री सुरेन्द्र पाल शर्मा	23/01/2016 से 31/03/2016

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री मनोज ठाकुर	01/04/2013 से 10/12/2014
2	श्री जसवीर चन्देल	11/12/2014 से 18/07/2015
3	श्री प्यारे लाल	28/07/2015 से 31/03/2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :– ग्राम पंचायत धौन कोठी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र•	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	**4.1**	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31–03–2016 के अन्त शेष में अन्तर	**4.8**
2	**5**	वित्तीय नियमों की अवहेलना	—

3	5.3	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना।	1.03
4	6.1	निवेश पर अर्जित ब्याज का लेखांकन न करना	8.1
5	6.2	परिपक्वता उपरान्त निवेश का पुर्ननिवेश न करना	20.1
6	8	तीन वर्षों से प्राप्य राजस्व की वसूली न करना	.005
7	9	उप डाकघर से किराए की वसूली न करना	––
8	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	10.8
9	11	संदिग्ध भुगतान	0.30
10	13.01	क्रय किए गए सामान का भण्डार रजिस्टर में लेखांकन न करना	0.74

भाग–दो

पैरा–2 वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत धौन कोठी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पुनीत शर्मा, आर्टिकल असिस्टैंट द्वारा दिनांक 23/05/2016 से 25/05/2016 तक ग्राम पंचायत धौन कोठी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की अंकेक्षण हेतु आय की विस्तृत जांच के लिए 03/2014, 09/2014 एवं 02/2016 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए 03/2014, 09/2014 एवं 06/2015 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

पैरा–3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत धौन कोठी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क रु5400/–बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–105 दिनांक 25/05/2016 द्वारा सचिव, पंचायत धौन कोठी से अनुरोध किया गया है।

पैरा–4 वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत धौन कोठी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :–

पैरा 4.1 स्व स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत धौन कोठी के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों **(खाता 'क')** की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है:–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013.14	1421968	154818	1576786	38079	1538707
2014.15	1538707	53873	1592580	36187	1556393
2015.16	1556393	74180	1630573	13705	1616868

पैरा 4.2 अनुदानः–

ग्राम पंचायत धौन कोठी के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–1(क) में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013.14	285984	3547915	3833899	3373893	460006
2014.15	460006	3528668	3988674	3317961	670713[++]
2015.16	670713	1182465	1853178	769714	1083464[++]

[++] नोटः– चूंकि सचिव, ग्राम पंचायत धौन कोठी द्वारा उपलब्ध करवाए गए आय व्यय के आंकड़ों तथा अन्य अभिलेख के आधार पर मनरेगा में दिनांक 31–03–2015 तथा 31–03–2016 को ₹209495/– का ऋणात्मक शेष है (परिशिष्ट–1)(ग से घ))जो कि सम्भवतः या तो किसी अन्य खाते से मनरेगा के भुगतान अथवा किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन मनरेगा में किए जाने के परिणामस्वरूप है। अतः प्रथमिकता के आधार पर इस चूक को ढूंढ कर इसका नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 4.3 :– बैक समाधान विवरणी :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत धौन कोठी द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–03–2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹4,75,980/– का अन्तर था।

क्र0 सं0	खाता	अन्त शेष
	रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति के अनुसारः–	
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' – पैरा 4(1)	16,16,868.00
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' – पैरा 4(2)	10,83,464.00
	कुल योग (क):	**27,00,332.00**

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–

क्रम0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	राशि
1	पंचायत निधि	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	5072	4,87,076.00
2	दीर्घावधि निवेश	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी		12,00,000.00
3	अनुदान	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	5068	11,47,845.00
4	इन्दिरा आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	6128	2,18,410.00
5	आई डब्लयू एम पी	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	8045	2,819.00
6	आई डब्लयू एम पी	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	8046	1,01,306.00
7	मनरेगा	पंजाब नै• बैंक पंजगाईं	50894	0.00
8	मिड हिमालय प्रोजैक्ट	पंजाब नै• बैंक पंजगाईं	48969	2,803.00
9	मिड हिमालय प्रोजैक्ट	पंजाब नै• बैंक पंजगाईं	48950	14,620.00
		कुल योग (ख):		**31,74,879.00**

रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क – ख): **4,75,980.00**

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए इस अन्तर को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 4.4 :– रोकड वही का बैंक खातों से मिलान न करना :–

ग्राम पंचायत धौन कोठी की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड वही व बैंक खातों का मिलान नही किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा–5 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

पैरा 5.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत धौन कोठी की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत धौन कोठी के लेखों की जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम–विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गईः–

पैरा 5.1 (क):– उपरोक्त नियम में पंचायत में एक रोकड़ वही के निर्माण का प्रावधान है जिसमें पंचायत द्वारा किए गए समस्त लेनदेनों का लेखांकन किया जाना है। परन्तु ग्राम धौन कोठी के अंकेक्षण में पाष्या गया कि पंचायत द्वारा पंचायत निधि, मनरेगा, इन्दिरा आवास योजना तथा आई डबल्यू एम पी के लिए चार अलग – अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। जो कि नियम के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन चार रोकड़ बहियों क`लेखांकन बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 5.1 (ख):– लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्शान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत धौन कोठी में हालांकि रोकड़ बही में प्रधान के हस्ताक्षर तो करवाए गए हैं परन्तु कभी भी अन्तशेष नहीं निकाला गया है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 5.1 (ग) लैजर खातों का निर्माण न करनाः– हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत धौन कोठी में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित तीन योजनाओं के लिए अलग–अलग रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो है ही साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों को इकट्ठा करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक

बरबादी होती है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 5.2 नियमों के विरूद्ध आठ बैंक बचत खातों का खोला जानाः— हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत धौन कोठी में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित आठ बैंक बचत खाते खेले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन छः अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

माह / वर्ष	**खाता संख्या**							**कुल ब्याज**
	5068	6128	8045	8046	48969	48950	50894	
9 / 2013	4227.00	4713.00	0.00	0.00	50.00	81.00	1280.00	10351.00
3 / 2014	5415.00	6675.00	0.00	0.00	50.00	81.00	2380.00	14601.00
9 / 2014	7352.00	6344.00	0.00	0.00	52.00	116.00	751.00	14615.00
3 / 2015	9449.00	4820.00	0.00	5264.00	52.00	273.00	2200.00	22058.00
9 / 2015	11687.00	3887.00	8.00	3180.00	54.00	283.00	29.00	19128.00
3 / 2016	15885.00	3569.00	55.00	1992.00	55.00	286.00	0.00	21842.00
कुल योग	54015.00	30008.00	63.00	10436.00	313.00	1120.00	6640.00	**102595.00**

पैरा 5.3 खाता 'ख' के मु• रु102595/— के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः— हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता **'ख'** में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तिरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत धौन कोठी के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹102595./— खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता **'ख'** में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए तुरन्त अब तक खाता **'ख'** के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 5.4 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करनाः— हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फॉर्म 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा–6 निवेशः–

सचिव ग्राम पंचायत धौन कोठी द्वारा **"परिशिष्ट–2"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत द्वारा एकमात्र निवेश ₹12.00 लाख हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी में खाता संख्या 529542 में 13–10–2005 को दस वर्ष की अवधि के लिए गया था। इस निवेश की जांच में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

पैरा 6.1ः– उपरोक्त निवेश दिनांक 13–10–2005 को दस वर्ष के लिए गया था जो कि दिनांक 13–10–2015 को परिपक्व हो चुका है। परन्तु पंचायत द्वारा परिपक्वता उपरान्त न तो इस निवेश का पुर्ननिवेश किया गया है और न ही अर्जित ब्याज का लेखांकन पंचायत निधि में किया गया है। जिस कारण दिनांक 31–03–2016 की उपलब्ध वित्तीय स्थिति के आंकड़े सही व सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं। अतः परिपक्वता उपरान्त भी निवेश को पुर्ननिवेशित न करने तथा इस पर दिनांक 31/03/2016 तक अर्जित लगभग ₹8,12,000/– (त्रैमासिक आधार पर) के ब्याज का लेखांकन न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अपेक्षित कार्यवाही तुरन्त सुनिश्चित की जाए।

पैरा 6.2ः– उपरोक्त निवेश को एक साथ दस वर्षों के लिए मात्र 6.51 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित कर दिया गया था हालांकि सामान्य जानकारी के आधार पर इस अवधि के दौरान इतनी बड़ी रकम के निवेश पर इससे अधिक ब्याज दर बैंकों/डाकघर में उपलब्ध थी। हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 11 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार यह निवेश इस प्रकार से किया जाना अपेक्षित था कि इस पर अधिकतम आय प्राप्त की जा सके। परन्तु वर्णित निवेश की ब्याज दर से स्पष्ट है कि निवेश करते समय उक्त नियम की अनदेखी की गई है। यह प्रकरण पंचायत में वित्तीय प्रबन्धन के अभाव तथा अदूरदर्शिता को दर्शाता है। अतः इस चूक बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब भविष्य हेतु परिपक्वता उपरान्त प्राप्त राशि को पुर्ननिवेशित करते समय उपरोक्त

वर्णित नियम की अनुपालना में निवेश पूर्व आसपास (पंजगाईं, बैरी, बरमाणा) के सब बैंकों से निविदाएं आमन्त्रित करके अधिकतम ब्याज देने वाले बैंक के पास ही यह पुर्ननिवेश सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 6.3:— इस निवेश की परिपक्वता राशि को प्राप्त करते समय दिनांक 13—10—2015 से बाद प्राप्ति की दिनांक तक का ब्याज भी बैंक से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा—7 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने के कारण ₹75.5 लाख का अनियमित व्ययः—

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। जिस कारण अवधि 04/2013 से 03/2016 तक पंचायत द्वारा किया गया कुल ₹75,49,539/—का व्यय अनियमित है जिसे अब सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा—8 पंचायत राजस्व रु500/— का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

सचिव ग्राम पंचायत धौन कोठी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट — 3) तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व **₹500/—** की वसूली शेष थी।

मोबाईल टावर :— पंचायत क्षेत्र में स्थापित टॉवरों की संख्या — 2

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013.14	——	5000.00	5000.00	4500.00	500.00
2014.15	500.00	5000.00	5500.00	5000.00	500.00
2015.16	500.00	5000.00	5500.00	5000.00	500.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

पैरा—9 उप डाकघर से किराए की वसूली न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 32 (1 व 2) के अनुसार पंचायत को अपनी आय बढ़ाने हेतु प्रस्ताव डालकर अपनी सम्पत्ति की दर का

अनुमान लगाकर आय की वसूली करनी होती है। पंचायत अभिलेख की जांच में सामने आया कि पंचायत द्वारा वर्श 2008 में प्रस्ताव सं• 4 दिनांक 26.08.2008 द्वारा पंचायत घर में एक कमरा डाकघर शुरू करने के लिए दिया था। परन्तु इस कमरे के लिए पंचायत द्वारा न तो कोई किराया डाक विभाग से वसूल किया किया जा रहा है और न ही डाकघर में खपत की जा रही बिजली के लिए कोई वसूली पंचायत द्वारा की जा रही है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत द्वारा डाकघर को दिए कमरे के किराए की दर तय करके वर्ष 2008 या जब से इसे विभाग को सौंपा गया था वसूली की जानी सुनिश्चित किया जाए।

पैरा–10 अनुदान रु10.83 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा परिशिष्ट–1(घ) पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान ₹10,83,464/– उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

पैरा 11 मु• रु30000/– का संदिग्ध भुगतानः–

इन्दिरा आवास योजना की रोकड़ बही तथा इसके हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी के बैंक खाते की जांच में पाया गया कि दिनांक 26/03/2014 को चैक संख्या 127126 द्वारा श्री पवन कुमार पुत्र श्री गरीबू राम गांव व डाकघर जमथल को ₹30,000/– का भुगतान किया गया था जिसका लेखांकन रोकड़ बही के पृष्ठ 20 पर वाउचर संख्या 4/2013–14 से किया गया है। इस चैक की वैधता तीन माह की थी जो कि दिनांक 25/06/2014 को समाप्त हो गई। परन्तु पास बुक की प्रविष्टियों की जाच में पाया गया कि इसी चैक (सं• 127126) का बैंक से भुगतान/निकासी दिनांक 01/07/2014 को हुआ है जो कि चैक की वैधता के समाप्त हो जाने के कारण सम्भव नहीं है। यह तथ्य इस पूरे प्रकरण को संदिग्ध बनाता है जिसमें गहराई से विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है। तदोपरान्त जांच परिणामों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा–12 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹37520/– के स्टाक स्टोर का क्रय करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) **व 67(5)** द्वारा स्टाक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण

में पाया गया कि **"परिशिष्ट–4"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹37520/–के स्टॉक स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टाक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 13 भंडारण पुस्तकों (Stock/Store Registers) के रख–रखाव में त्रुटियां:–

पैरा 13.1 क्रय किए गए स्थाई व अस्थाई भण्डार का भण्डारण पुस्तकों में इन्द्राज़ न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का उसकी स्थाई अथवा अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फॉर्म 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत धैन कोठी के अवधि 04/2013 से 30/2016 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–5"** पर संकलित लगभग ₹73704/– के भण्डार को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

पैरा 13.2 भण्डारण पुस्तकों का रख रखाव उचित तरीके से न करना:–सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए। परन्तु ग्राम पंचायत धौन कोठी में विभिन्न खरीदे गए सामान का इन्द्राज़ करते समय उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई भन्डारण पुस्तकें लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त अब तक भण्डार पुस्तकों में दर्ज न किए गए सामान का इन्द्राज़ किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

पैरा–13.3 प्रत्यक्ष सत्यापन:– हि•प्र• पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

पैरा–14 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)
6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) ; – इद्ध
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा–15 विविध अनियमितताएः–

पैरा 15.1ः– ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत धौन कोठी द्वारा नहीं की जा रही है।

पैरा 15.2ः– निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

पैरा 15.3ः– पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत धौन कोठी के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि अधिकतर मामलों में यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा–16 लघु आपत्ति विवरणिका :–

लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

पैरा—17 निष्कर्षः—

लेखों के रख रखाव में हि•प्र• पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखों का रख रखाव नियमयनुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

भवदीय,

हस्ता / —
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(12)1 / 2016—खण्ड—1—3951—3955 दिनाँक 12.07.2016 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 1 निदेशक पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

4 वरिष्ठ महालेखाकार (स्थानीय निकाय), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला—171003

पंजीकृत 5 सचिव,ग्राम पंचायत धौन कोठी, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट—4

निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही मु• रु37520/— के स्टाक स्टोर का क्रय करना (पैरा 13 में संदर्भित):—

क्र0 सं0	वाउचर	निधि रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि
1	23/2013—14	19	प्रिन्टर खरीद	6500.00
2	34/2013—14	24	लेखन सामग्री	5800.00
3	51/2013—14	35	सरिया	4520.00
4	13/2014—15	55	लेखन सामग्री	5100.00
5	15/2014—15	55	कम्पयूटर हार्डवेयर	3600.00
6	4/2015—16	62	रेत एवं बजरी	12000.00
			कुल योगः	37520.00

परिशिष्ट—5

क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भण्डार पुस्तिकाओं में न करना (पैरा 14.1 में संदर्भित):—

क्र0 सं0	वाउचर	पंचायत निधि रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि
1	9/2013—14	13	लेखन सामग्री	252.00
2	11/2013—14	14	लेखन सामग्री	133.00
3	12/2013—14	15	लेखन सामग्री	2100.00
4	13/2013—14	15	प्रिन्टर	8500.00
5	14/2013—14	15	लेखन सामग्री	750.00
6	16/2013—14	17	लेखन सामग्री	567.00
7	18/2013—14	17	लेखन सामग्री	1950.00
8	23/2013—14	19	प्रिन्टर	6500.00
9	34/2013—14	24	लेखन सामग्री	5800.00
10	40/2013—14	31	लेखन सामग्री	3279.00
11	41/2013—14	31	मुद्रण सामग्री	2700.00
12	51/2013—14	35	सरिया	4520.00
13	1/2014—15	38	लेखन सामग्री	473.00
14	10/2014—15	50	लेखन सामग्री	2693.00
15	13/2014—15	55	लेखन सामग्री	5100.00
16	14/2014—15	55	लेखन सामग्री	1365.00
17	15/2014—15	55	कम्पयूटर हार्डवेयर	3600.00
18	17/2014—15	59	डाटा कार्ड	2300.00
19	2/2015—16	61	सीमेंट	8210.00
20	4/2015—16	62	रेत एवं बजरी	12000.00
21	10/2015—16	64	लेखन सामग्री	419.00
22	16/2015—16	66	लेखन सामग्री	493.00
			कुल योगः	**73704.00**

दिनांक 31—03—2016 को ग्राम पंचायत धौन कोठी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि•प्र• के बैंक खातों में उपलब्ध शेश का विवरण:—

क्र0 सं0	निधि जिसका खाता है	बैंक	खाता संख्या	31—03—16 को उपलब्ध शेश
1	पंचायत निधि बचत खाता	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	5072	4,87,076.00
2	पंचायत निधि से दीर्घावधि निवेश	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	529542	12,00,000.00
3	अनुदान बचत खाता	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	5068	11,47,845.00
4	इन्दिरा आवास योजना बचत खाता	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	6128	2,18,410.00
5	आई डब्लयू एम पी बचत खाता	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	8045	2,819.00
6	आई डब्लयू एम पी बचत खाता	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	8046	1,01,306.00
7	मनरेगा बचत खाता	पंजाब नै• बैंक पंजगाईं	50894	0.00
8	मिड हिमालय प्रोजैक्ट बचत खाता	पंजाब नै• बैंक पंजगाईं	48969	2,803.00
9	मिड हिमालय प्रोजैक्ट बचत खाता	पंजाब नै• बैंक पंजगाईं	48950	14,620.00
			कुल योगः—	**31,74,879.00**